आयुष्मान भारत, मध्यप्रदेश
दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद
प्रथम तल, आई.ई.सी. ब्यूरों,
जय प्रकाश अस्पताल परिसर, भोपाल

क्रमांक/इ.ओ/आयु.भा/2018/52 भोपाल, दिनांक 14/9/18

प्रति,

1/ समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश।

2/ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

विषय :- आयुष्मान कक्ष स्थापना हेतु दिशा निर्देश ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत म.प्र के अंतर्गत 25.09.2018 से विधिवत योजना का कियांवयन हो जावेगा । उपरोक्त योजना के प्रारंभ होने से पूर्व और क्योंकि पायलट के तैर पर योजना के संबंध में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है । अतः लाभार्थियों के सहायता हेतु कीयोस्क (Kiosk) का निर्माण किया जाना है , जिसकी स्थापना हेतु , राशी प्रशासकीय मद से जिला चिकित्सालयों को हस्तांत्रित की जा रही है तथा कीयोस्क स्थापना हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

- चिकित्सालय भवन में कम से कम 10 X10 वर्गफिट आकार का कक्ष अथवा स्थान चयनित करें।
- यदि इस आकार का पूर्व से निर्मित कक्ष उपलब्ध है तो उसे ही **'आयुष्मान कक्ष'** के रूप में सुसज्जित किया जाये।
- यदि पूर्व निर्मित कक्ष उपलब्ध नहीं हो तो बरामदे, हॉल आदि में उक्त आकार का स्थान चिन्हित कर उसमें कियोस्क लगाकर अथवा आयरन या एल्यूमिनियम से फेब्रिकेशन करवाकर **'आयुष्मान कक्ष'** तैयार करवायें।
- यह कक्ष अथवा स्थान सहजता से दिखे ऐसी जगह स्थित होना चाहिए यथा ओ.पी.डी. के निकस्थ स्थान पर हो। ध्यान रखे कि भवन के किसी दूरस्थ कोने में न हो जहां पहुंचना कठिन हो।
- इस कक्ष में कम से कम 2.5X4 वर्गफिट आकार की टेबल, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर रखा जाना है, तद्नुसार स्थान तैयार करें।
- कम्प्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाये।
- आयुष्मान मित्र के बैठने के लिए एक कुर्सी टेबल के एक तरफ तथा मरीज तथा उनके परिजनों के बैठने के लिए दो-तीन कुर्सियां टेबल के दूसरी तरफ हों।
- कक्ष में पंखा अथवा कूलर उपलब्ध हो।
- कक्ष के बाहर **'आयुष्मान कक्ष'** का स्पष्ट बोर्ड लगा हो।
- कक्ष के बाहर योजना का नाम एवं अन्य जानकारियों पर आधारित फ्लेक्स संलग्न प्रारूप के अनुरूप लगे हों।
- उक्त फ्लेक्स उच्च गुणवत्ता के (340 जीएसएम स्टार मीडिया) के हों।
- संलग्न प्रारूप में प्रयोग किये गये डिजाइन अथवा रंगों को बदला न जाये।
- ओ.पी.डी. स्थल से आयुष्मान कक्ष तक आसानी से लोग पहुंच सकें इस हेतु आवश्यक संकेतक बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।
- आयुष्मान मित्र RMO/Medical Cordinator का नाम तथा मोबाईल नंबर भी **'आयुष्मान कक्ष'** के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए ताकि यदि आयुष्मान मित्र कक्ष में या सीट पर नहीं है तो उसे बुलाया जा सके।
- इस कियोस्क में आवश्यक आईईसी सामग्री यथा पेम्फलेट इत्यादि भी रखे जाए।
- कियोस्क हेतु स्पेशिफिकेशन एवं आईईसी सामग्री के प्रारूप संलग्न है। यह आपके ई-मेल पर भी प्रेषित किये गए है।

(रुही खान)

अपर संचालक सह

कार्यपालन अधिकारी

पृष्ठा क्रमांक/इ.ओ/आयु.भा/2018/ 53 भोपाल, दिनांक 14/9/18

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला बी.एम.ओ एवं सिविल अस्पताल प्रभारी मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कियांवयन इकाई/नोडल अधिकारी /जिला मलेरिया अधिकारी आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश।
6. संचालक स्वास्थ्य शिक्षा

अपर संचालक सह
कार्यपालन अधिकारी